# FROM No.III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत ........ सहायक कलेक्टर एवं SDO ........ मुकाम ........ बायतु ........

........ ठाकराराम चौधरी ........ बनाम ........ किशनाराम चौधरी ........

किस्म मुकदमा ........ रास्ता आवेदन ........ नं. ........ 127/2022 ........ सन् ........ 2022 ........

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23/3/2022 | ~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री ........ कुम्भसिंह चौधरी ........<br>ने यह ~~प्रार्थना~~ पत्र/वाद/अपील धारा ........ 111, 128 ........<br>राजस्थान काश्तकारी/भू-~~राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।<br>जो दर्ज रजिस्टर हो। वि~~प्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन<br>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ........ 19/4/2022 ........ को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (SDO),<br>बायतु<br>जिला – बाडमेर | |
| 19/04/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है / अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/05/2022 को पेश हो / [signature]<br>सहायक कलक्टर (SDO)<br>बायतु | |

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 18/05/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।<br><br>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।<br><br>सहायक कलक्टर (SDO)<br>बायतु<br>जिला – बाड़मेर |

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 697 दिनांक : 18/5/2022

**प्रार्थी** **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. ठाकराराम पुत्र पोकरराम वगैरा 65,
जाति जाट, निवासी लुणाडा,
पटवार मण्डल लुणाडा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. किशनाराम पुत्र सिदाराम वगैरा 58,
जाति जाट, निवासी दुर्गाणियों का तला,
पटवार मण्डल लुणाडा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

**राजस्व आवेदन संख्या : 127 / 2022**

## आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लुणाड़ा, पटवार मण्डल – लुणाड़ा, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1412 / 1065, 1489 / 1165 रकबा क्रमशः 6.8765, 15.8402 हैक्टयर व मौजा रामसरिया पटवार हल्का खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 475 रकबा 8.2761 हैक्टयर व मौजा रेवाली पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 240 रकबा 33.0234 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर
दिनांक :

क्रमांक : वाद / 2022 / 697-702

**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लुणाड़ा, खींपर, हरखाली को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री ठाकराराम पुत्र पोकरराम वगैरा 65,
4. विप्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र सिदाराम वगैरा 58,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

**उपखण्ड अधिकारी बायतु**